रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12012026-269292
CG-MH-E-12012026-269292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947
No. 30] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 9 जनवरी, 2026

फा. सं. सीओ/एचसीएम/डीएडी/2025-26/566 (ई)—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति पश्चात सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में एतद्वारा निम्न संशोधन किए, यथाः-

1. (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा.

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे.

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम (6) में, -

(ए) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(3) जहां जांच प्रस्तावित है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर निश्चित और स्पष्ट आरोप तैयार करेगा, एवं आरोपों के विवरण सहित, आरोपों के दस्तावेज़ों की सूची तथा ऐसे दस्तावेज़ों की प्रतियाँ तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, अधिकारी कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा एवं अधिकारी कर्मचारी कोअनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समयावधि, जो पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी, अथवा उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विस्तारित समयावधि के भीतर, अपना लिखित प्रतिरक्षा बयान प्रस्तुत करना आवश्यक है:

बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में, प्रतिरक्षा का लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए समयावधि का विस्तार आरोपपत्र प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि जहाँ भी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ उपलब्ध कराना संभव न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, ऐसे दस्तावेज़ों की जांच करने की अनुमति देगा";

(बी) उप-विनियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः –

"(12) उप-विनियम (11) के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिसके पास मांगे गए दस्तावेज़ों का भौतिक या डिजिटल अभिरक्षण या अधिकार है, वह अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर जांच प्राधिकारी के समक्ष उन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करेगा अथवा उनकी अनुपलब्धता का प्रमाणपत्र जारी करेगा:

बशर्ते कि यदि मांगे गए दस्तावेज़ों का अभिरक्षण या अधिकार रखने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे सभी या किसी भी दस्तावेज़ का प्रस्तुतिकरण जनहित या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होगा और इस संबंध में वह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करे, तो जांच प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी और जांच प्राधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उक्त सूचना की जानकारी अधिकारी कर्मचारी को देगा और उनके द्वारा ऐसे दस्तावेज़ों के प्रस्तुतिकरण या उपलब्धता के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेगा.";

(सी) उप-विनियम (21) में, उप-खण्ड (ii)के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाएगा, यथाः-

"(iii) (ए) जांच प्राधिकारी अपनी जांच समाप्त करेगा और जांच प्राधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(बी) जहाँ उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट समयावधि का पालन करना संभव न हो, वहाँ जांच प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करेगा और अनुशासनिक प्राधिकारी से समयावधि बढ़ाने का अनुरोध करेगा. अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी जांच को पूरी करने के लिए एक बार में अधिकतम छः माह के अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है;

(सी) एक समय पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिए समयावधि का विस्तार केवल तभी दिया जा सकता है, जब अनुशासनिक प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी को इसके लिए पर्याप्त एवं उपर्युक्त कारण लिखित रूप में प्राप्त हों."

3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथाः –

"अनुसूची

[(विनियम 3 (बी), (जी), (एन), (ओ), 17 एवं 18 *देखें*")]

क्रम संख्या (1)	**अधिकारी कर्मचारी का वेतनमान** (2)	**अनुशासनिक प्राधिकारी** (3)	**अपीलीय प्राधिकारी** (4)	**समीक्षा प्राधिकारी** (5)
1	वेतनमान -I एवं II के अधिकारी	सहायक महाप्रबंधक	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
2	वेतनमान –III के अधिकारी	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक
3	वेतनमान -IV एवं V के अधिकारी	महाप्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
4	वेतनमान - VI के अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
5	वेतनमान -VII के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड गठित समिति
6	वेतनमान -VIII के अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	बोर्ड गठित समिति	बोर्ड"

नोट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 को भारत के राजपत्र, भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया,यथा:-

क्रम संख्या	**अधिसूचना संख्या**	**दिनांक**	**आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फाइल सं. 4/10/1/92-आईआर	20/10/2000	03/03/2001
2.	फाइल सं. 3/4/98-वीआईजी	16/10/2000	28/04/2001
3	फाइल सं. 4/10/4/94- आईआर	20/03/2001	30/06/2001
4.	फाइल सं. 4/10/4/94- आईआर	20/03/2001	30/06/2001
5.	फाइल सं. 4/10/2/97- आईआर	29/04/2002	02/11/2002
6.	फाइल सं. 4/10/2/2001- आईआर	16/06/2004	25/09/2004

कुशल पाल, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./606/2025-26]

CENTRAL BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th January, 2026

F. No. CO/HCM/DAD/2025-26/566(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Central Bank of India after consultation with the Reserve Bank and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal)

Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1976, in regulation (6),

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely : -

"(3) Where it is proposed to hold an enquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer Employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with a copy of such documents and list of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer Employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority not exceeding fifteen days, or within such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge:

Provided further that wherever it is not possible to furnish the copies of the documents, disciplinary authority shall allow the Officer Employee to inspect such documents within a time specified in this behalf.";

(b) for sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(12) On receipt of the requisition under sub-regulation (11), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents physically or digitally shall produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiring Authority within one month of the receipt of such requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents shall be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall on being so informed, communicate the information to the Officer Employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.";

(c) in sub-regulation (21), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :-

"(iii) (a) the Inquiring Authority shall conclude the inquiry and submit his report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiry Authority;

(b) where it is not possible to adhere to the time-limit specified in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the Disciplinary Authority in writing, who may allow additional time not exceeding six months at a time for completion of such inquiry;

(c) the extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reason to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorised by the Disciplinary Authority on his behalf.".

3. In the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1976, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: -

"Schedule

[(*see* regulations 3(b), (g), (n), (o), 17 and 18)]

Serial number (1)	**Scale of the officer employee (2)**	**Disciplinary Authority (3)**	**Appellate Authority (4)**	**Reviewing Authority (5)**
1.	Officers in Scale-I and II	Assistant General Manager	Deputy General Manager	General Manager
2.	Officers in Scale-III	Deputy General Manager	General Manager	Chief General Manager
3.	Officers in Scale-IV and V	General Manager	Chief General Manager	Executive Director
4.	Officers in Scale-VI	Chief General Manager	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer
5.	Officers in Scale-VII	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer	Committee of the Board
6.	Officers in Scale-VIII	Managing Director and Chief Executive Officer	Committee of the Board	The Board".

Note: The Central Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations,1976 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended vide the following notifications, namely :-

Serial number	**Notification number**	**Date**	**Date of publication in the Official Gazette**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	F. No. 4/10/1/92-IR	20/10/2000	03/03/2001
2.	F. No. 3/4/98-VIG	16/10/2000	28/04/2001
3.	F. No. 4/10/4/94-IR	20/03/2001	30/06/2001
4.	F. No. 4/10/4/94-IR	20/03/2001	30/06/2001
5.	F. No. 4/10/2/97-IR	29/04/2002	02/11/2002
6.	F. No. 4/10/2/2001-IR	16/06/2004	25/09/2004

KUSHAL PAL, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./606/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.12 16:21:37 +05'30'